



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर  
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विद्युत/ 479-137/२/४०

रायपुर, दिनांक 27/08/2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)  
भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेंट्रल रीजन  
ईस्टर्न विंग – भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन  
VCA के सामने, सिविल लाईन  
नागपुर – 440001

विषय: – Diversion of 37.919 ha. of Forest Land in favour of Executive Engineer, CSPTCL, Chhattisgarh for laying and construction of 132 KV DCSS Bhanupratappur-Pankhanjur transmission line in Kanker District in the State of Chhattisgarh - regarding.

– पंजीयन क्रमांक/FP/CG/TRANS/11741 / 2015

संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-II/CH-38/2016-NGP/ 521 दिनांक 13.06.2016  
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ मा. चि / 2206 दिनांक 23.08.2016

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र – 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 11 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम से उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा बिन्दुवार प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:—

क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	Hard copy of Part-I has not been submitted along with the proposal. Further, Part-II submitted online and hard copy furnished along with the proposal varies substantially in their content. CA details have been provide online while Part-II submitted along with the proposal mentioned that these requirement will be incorporated at the time of mining plan and processing of transmission line which implies that underlying documents have not been scrutinized by the DCFs concerned.	आवेदक संस्थान द्वारा भरे जाने वाले Part-I एवं भाग-II में वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित क्षेत्र को उल्लेखित किया गया है। भाग-II संलग्न है। <b>Annexure- I, II</b>
2	Dates on which inspection of the area was undertaken by the DCFs concerned has not been indicated in their respective inspection reports. Moreover, instead of uploading inspection report online, the DCFs concerned have uploaded a scanned copy of Part-II of Form-A. Further, site inspections reports of the DCF/CF pertaining to the area identified for raising CA may also be submitted by the State Government.	भानुप्रतापपुर (पुत्तरवाही) से पखांजूर तक 132 के.व्ही.डीसीडीएस विद्युत लाईन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पूर्व एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल के वन सीमा से होकर गुजरती है। अतः स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र-3) में पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में तिथि उल्लेख नहीं किया गया है। अतः स्थल निरीक्षण प्रपत्र-3 में दिनांक उल्लेखित कर संलग्न है।

		वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। <b>Annexure- III</b>
3	Certificates regarding location of area proposed for diversion beyond the eco-sensitive zone of PAs have not been submitted by the DCFs concerned. Certificates from the DCF, West Bhanupratappur, certifying information furnished in respect of Part-II have not been submitted.	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम भानुप्रतापपुर द्वारा व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास ईको सेनसिटिव क्षेत्र के संबंध में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र-3 में प्रस्तुत किया गया है। प्रपत्र-3 संलग्न है तथा भाग-2 में आवेदक द्वारा मांगी गई वन भूमि को गैरवानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने अनुसंशा किया गया है एवं प्रपत्र-III में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। <b>Annexure- III</b>
4	Exact distance of the proposed alignment from the boundaty of forest land has not been proposed by the User Agency.	प्रस्तावित क्षेत्र नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण भविष्य में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखकर वन क्षेत्र में लाईन निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 17 से 27 तक में नक्शे पर वन क्षेत्र की दूरी अंकित की गई है।
5	Examination of the Kml/shape files on DSS, it is revealed that out of four patches identified for CA, 3 patches falls in the category of moderately dense forest having density above 40% and may not be suitable for raising CA. The State Government is therefore required to identify alternate sites for raising CA.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी वन भूमि छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि ओ.ए. पोडावारी 'ए', ओ.ए. डांगरा 'बी', ओ.ए. तराईघोटिया 'एफ' तथा ओ.ए. राजूरवाही को प्रस्तावित किया गया था। उपरोक्त पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में से ओ.ए. डांगरा 'बी' को छोड़कर शेष क्षेत्र का घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक होने के कारण पुनः नारंगी क्षेत्र साधुघमरे ए, बी, एवं सी को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। 10 वर्षिय प्रस्ताव 02 प्रतियों में एवं उपवनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है। <b>Annexure- IV</b>
6	No abstract details of CA area (whether degraded forest or non-forest land) have been provided by the DFO in Part-II. It is noticed invariably that inadequate information is submitted by the concerned DCFs in Part-II. Instead of referring the annexure in the proposal, the DCFs, concerned may be directed to fill at least abstract of information in the Part-II and detailed information may be referred in the Annexure submitted along with the proposal. The State Government may take action as appropriate to ensure compliance in this regard.	भाग-2 में वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र को अंकित कर दिया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र बिगड़े वन भूमि छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि है। जिसका नारंगी इकाई में सर्वेक्षण कर अधिसूचना प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है। <b>Annexure- V</b>
7	As per the certificate of District Collector, Kanker towards the settlement of rights issued for	जानकारी की प्रति संलग्न है। <b>Annexure- VI</b>

	individual village indicating village wise forest and revenue forest area total forest area involved in the proposal is 40.874 ha. comprising of 38.34 ha. PF/RF area and 2.534 ha. of revenue forest area. The discrepancy in the area proposed for diversion and reported by the District Collector may be re-visited by the State Government exact legal status of the land proposed for diversion may be ascertained. Further, a detail of action taken on settlement of rights in respect of 10 rights holders, as reported by the District Collector may also be submitted by the State Government.	
8	Copies of record of consultations meeting of the Sub-Divisional Level Committee, as required under the provision of clause (a) of Form-I annexed to MoEF&CC's advisory dated 5.07.2013 has not been submitted along with the compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.	जानकारी संलग्न है। <b>Annexure- VII</b>
9	For want of detailed report on various attributes examined for various alternatives viz forest area, number of trees, length, feasibility etc. and comments of DCF's concerned thereof, it appears that alignment has been finalized based on single parameter i.e. length in forest area. A report on the same may be submitted by the State Government.	जानकारी की प्रति संलग्न है। <b>Annexure- VI</b>
10	As per Cost benefit analysis, the CB ratio has been worked out to be 1:2.39 lakhs, which is exorbitantly high. Parameters to evaluate cost of the project have not been taken into consideration appropriately. CB analysis needs to be re-worked by applying appropriate technoeconomic tools to suitably assess the parameters for assessment of losses and benefits of the project.	Cost Benifit Analysis की जानकारी संलग्न है। <b>Annexure- VIII</b>
11	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis. Also employment potential of the project, during post construction phase, has also not been provided.	जानकारी की प्रति संलग्न है। <b>Annexure- VI</b>

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

२६/०८/२०१८  
(मुदित कुमार सिंह)  
अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व. सं. अ)  
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।

3. वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़।

4. कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

३६८३०२६६ २६/८  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)  
०/८ छत्तीसगढ़